Neutral Citation No. - 2026:AHC:2698

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45733 वर्ष 2025

जय प्रकाश राम उर्फ ज्ञान चन्द्र राम .....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शैलेन्द्र कुमार राय

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार राय, विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह, जिनकी सहायता विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल, द्वारा की गई, को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 248 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर में, जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक ने अपनी पूर्व पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कारित करने का कथित कृत्य किया, क्योंकि उसने एक शैलेन्द्र से विवाह कर लिया था, और जब एक अन्य महिला कौशल्या देवी ने उसे बचाने के लिए दौड़ी, तो आवेदक ने दिनांक 23.7.2025 को लगभग सायं 6.00 बजे उस पर भी प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं। कौशल्या देवी को लगी चोट साधारण प्रकृति की है, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 24.7.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि आवेदक एकमात्र नामजद अभियुक्त है और प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई है। यह भी कहा गया है कि घायल कौशल्या देवी ने भी आवेदक को नामजद किया है, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई है और आवेदक उसमें एकमात्र नामजद अभियुक्त है, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं पाता। जमानत आवेदन गुण-दोषहीन पाया जाता है और तदनुसार **अस्वीकार** किया जाता है।

8. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को, यदि कोई विधिक बाधा न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में यथाशीघ्र निर्णीत किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियाँ विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

शालिनी

Translated Version Not For Legal Use.

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।